

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: विशेष नवजात देखभाल ईकाई (Special Neonatal Care Unit)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): विशेष नवजात देखभाल ईकाई का परिचालन लागत

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A.2.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु Facility Based Newborn Care(FBNC) के तहत सभी जिला अस्पताल तथा मेडिकल कालेज अस्पताल में SNCU की स्थापना की जा रही है । जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है । जिला अस्पताल में SNCU के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान किया जाएगा :

Care at Birth including resuscitation of asphyxiated newborns, postnatal care, follow up of high risk newborns, referral services, immunization services.

वर्तमान में कुल 12 SNCU "स्पेशल केयर न्यूबॉर्न युनिट (SCNU) कार्यरत है । जिसमें से 8 SNCU जिला स्तर एवं 4 SNCU चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कार्यरत है। जिसे संचालित करने हेतु इस बजट शीर्ष में आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है।

ईकाई राशि (रु० में) : - 250000/SNCU/त्रैमासिक

वित्तीय दिशा निर्देश :

इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों(यदि यूनीसेफ के द्वारा भी आपूर्ति किया गया हो, तो उसका भी मरम्मत किया जा सकता है) के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintainance Contract) समाप्त हो गया हो एवं यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु एवं SNCU के संचालन हेतु आवश्यक Consumables में इसका व्यय किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति यह राशि सदर अस्पताल को आवंटन करेगी, जहां SNCU कार्यरत है। किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा । इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

13/7/13

10/7/13